हीरा-पन्ना की योजना 'द क्राउन' के फ्लैट की बिक्री पर लगी रोक

राज्य ब्यूरो, पटना : हीरा पन्ना इंफ्रा की परियोजना 'द क्राउन' के फ्लैट या अपार्टमेंट की बिक्री और अनुबंध पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने तथ्य छिपाकर विवादित भूमि पर परियोजना का निबंधन कराने के मामले को लेकर सख्त आपत्ति जताई है। इस संबंध में निबंधन आइजी को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि वे इस परियोजना से जुड़े किसी भी फ्लैट व अपार्टमेंट का निबंधन न करने का निर्देश दें। रेरा ने कंपनी के निदेशक शरद केसरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपकी परियोजना का निबंधन रद कर दिया जाए और आर्थिक दंड लगाया जाए? इसको लेकर कंपनी से 30 दिनों में जवाब मांगा गया है।

नोटिस के अनुसार, कंपनी ने सिकंदरपुर मौजा की जिस भूमि पर अपने परियोजना का निबंधन कराया है, उस पर मालिक ने 2013-14 में ही दूसरी कंपनी अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध किया था। ऐसे में रेरा ने यह तथ्य छिपाने पर कंपनी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

30 दिनों में कंपनी से मांगा गया जवाब, रेरा ने तथ्य छिपाकर निबंधन कराने पर जताया एतराज, पूछा- क्यों न रद कर दिया जाए निबंधन

रेरा ने बिल्डरों से मांगी तिमाही रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार रेरा ने सभी निबंधित रियल इस्टेट कंपनियों व बिल्डरों से अपनी परियोजना की तिमाही रिपोर्ट मांगी है। हर तिमाही पूरी होने के 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से देने को कहा गया है। जो भी प्रमोटर या बिल्डर लगातार दो तिमाही की रिपोर्ट नहीं देंगे, उनसे रेरा प्रविधान के अनुसार जुर्माना वसूलेगा। रिपोर्ट में परियोजना की प्रगति रिपोर्ट, ब्लाक और हर मंजिल के निर्माण कार्य की रिपोर्ट चित्र के साथ देने को कहा गया है।

Scanned with CamScanner